राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

(सी–7ए, सुलतान हॉऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)
Website:- http://rajasthanparamedicalcouncil.org
Email id- rajasthanparamedicalcouncilgov@gmail.com

अति–आवश्यक,
द्वारा ई–मेल

क्रमांकःरा.एस.ए.एच.सी. / परीक्षा / 2025 / 535 दिनांकः 20/06/2025

समस्त प्रधानाचार्य
समस्त पैरामेडिकल संस्थान / कॉलेज
राजस्थान

विषयः– वर्ष 2024–25 में आयोजित करवाई गई परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के नाम से जारी मूल–अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्रो को संशोधित कर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के नाम से पुनःजारी करने बाबत्

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 2024–25 में आयोजित करवाई परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के नाम से जारी मूल–अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्रो को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.08.2024 के द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को समाप्त कर राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर गठन कर दिये जाने से उपरोक्त दस्तावेज राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के नाम से जारी किये गये थे परन्तु **The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act.2021** के लागू हो जाने से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नाम से जारी गतिविधियो के क्रियान्विति पर रोक लगा दिये जाने से उपरोक्त प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिकाएँ कुछ समय से जारी नहीं की जा रही थी जिससे छात्र–छात्राओ द्वारा बार–बार आवेदन प्रस्तुत कर प्रोविजनल प्रमाण–पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जा रहे थे।

अब चूंकि राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनाकं 13 / 06 / 2025 के द्वारा **The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act.2021** के **Clause (J) of Section 30** में उल्लेखित प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए जब तक **The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act.2021** के नियम / विनयम नही बनते तब तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, **Act.2008** के तहत कौंसिल की समस्त गतिविधियों का संचालन करने की सहमति प्रदान करदी है।

अतः आपको निर्देश प्रदान किये जाते है कि वर्ष 2024–25 में आयोजित करवाई परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुउत्तीर्ण छात्र–छात्राओं की मूल अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्र छात्र–छात्राओं को राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल के नाम से वितरित किये गये थे को वापस छात्र–छात्राओं से मूल ही प्राप्त कर कौंसिल को भिजवाये, तदुपरान्त सशोंधित किये गये मूल अंकतालिका, प्रोविजनल एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्रों को संस्थान / कॉलेज की ओर से विशेष वाहक (प्रतिनिधि) भेजकर कौंसिल से प्राप्त करना सुनिश्चित् करे, दिनाकं एवं समय के बारे में आपको कौसिल द्वारा शीघ्र ही अवगत् करवा दिया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई तो उसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज / संस्थान की होगी।

(उत्तम सिंह शेखावत)
आर. ए. एस
सचिव

क्रमांकःरा.एस.ए.एच.सी./परीक्षा/2025/535 दिनांकः 20/06/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 13.06.2025 के क्रम में।
3. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
4. पंजियन शाखा, लेखा शाखा, मान्यता शाखा राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।

[illegible]

5. वैबसाइट पर अपलोड हेतु/नोटिस बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

(उत्तम सिंह शेखावत)
आर. ए. एस
सचिव